

बिहार विरासत विकास समिति
कला एवं संस्कृति विभाग
बुद्धमार्ग, पटना-800001
कोटेशन आमंत्रण सूचना

बिहार विरासत विकास समिति, पटना के कार्यालय में बाह्य स्त्रोत (Outsourcing) से सफाई कर्मचारी एवं माली की सेवा प्राप्त करने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है।

कोटेशन के संबंध में विस्तृत विवरणी बिहार विरासत विकास समिति के सूचना पट्ट एवं कला एवं संस्कृति विभाग की वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/yac> पर देखा जा सकता है। कोटेशन कार्यपालक निदेशक, बिहार विरासत विकास समिति, बुद्धमार्ग, पटना-800001 के कार्यालय पते पर दिनांक **22/09/2026** के 03:00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जायेगा।

कार्य का विवरण-

बिहार विरासत विकास समिति, पटना के कार्यालय परिसर एवं शौचालयों की साफ-सफाई एवं बागवानी हेतु बाह्य स्त्रोत (Outsourcing) से निम्न संख्या में सफाई कर्मचारी एवं माली की सेवा उपलब्ध कराना-

क्र०सं०	कर्म का पदनाम	कोटी	कर्मियों की संख्या	अवधि
1	सफाई कर्मचारी	अकुशल	01	एक वर्ष
2	माली	कुशल	01	एक वर्ष

तकनीकी शर्तों-

कोटेशन के साथ निम्न कागजात संलग्न करना अनिवार्य है:-

- कोटेशनदाता कंपनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म/प्रतिष्ठान को संगत कानून के अधीन निबंधित होने का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- कोटेशनदाता कंपनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म/प्रतिष्ठान के पास किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान में मानवबल की आपूर्ति किए जाने से संबंधित कार्य का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। साक्ष्य के रूप में संबंधित संस्थान द्वारा निर्गत संतोषजनक कार्य का प्रमाण-पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, कार्यदेश मान्य नहीं होगा।
- कोटेशन के साथ GST निबंधन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
- कोटेशन के साथ PAN कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
- कोटेशनदाता कंपनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म/प्रतिष्ठान को EPF एवं ESI निबंधन संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- कोटेशनदाता कंपनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म/प्रतिष्ठान को पिछले 3 वित्तीय वर्षों का IT रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करना होगा।
- कोटेशनदाता कंपनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म/प्रतिष्ठान को पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी/अर्द्ध-सरकारी/PSU उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्ट, पंजीकरण रद्द या प्रतिबंधित नहीं किया गया होना चाहिए। इसे एक शपथ पत्र के रूप में गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसे प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया हो।



वित्तीय शर्तें—

1. कोटेशनदाता को न्यूनतम मजदूरी दर के हिसाब से पारिश्रमिक, EPF, ESI, सेवा शुल्क एवं सभी कर सहित समेकित रूप से प्रतिकर्मी मासिक दर अंकित करना होगा। यथा— देय मजदूरी + E.P.F. + E.S.I. + G.S.T. + सेवा शुल्क + अन्य कोई कर यदि लागू हो।
2. बिहार विरासत विकास समिति द्वारा अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
3. कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही/कमी पाये जाने की स्थिति में मासिक विपत्र से अनुपातिक रूप से राशि की कटौती की जायेगी एवं एकरारनामा भी रद्द किया जा सकता है।
4. मासिक देय राशि के दर की गणना माह में 26 (छब्बीस) दिनों की मजदूरी के आधार पर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित अद्यतन देय श्रमिक की श्रेणी एवं मजदूरी की दर के अनुसार की जायेगी।
5. कोटेशनदाता द्वारा वित्तीय निविदा में सेवा शुल्क वित्त विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सेवा शुल्क 3.85% से कम अंकित नहीं किया जाएगा। सेवा शुल्क निर्धारित दर से कम अंकित किए जाने की स्थिति में कोटेशन अमान्य कर दी जाएगी।
6. दो या दो से अधिक कोटेशनदाताओं के वित्तीय बोली की राशि समान होने के स्थिति में एजेंसी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा अथवा अन्य प्रक्रिया से चयन का निर्धारण करने हेतु क्रय समिति स्वतंत्र होगी।
7. चयनित एजेंसी को रु. 1000/— (रुपये एक हजार) मात्र के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर कार्यपालक निदेशक, बिहार विरासत विकास समिति अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी के साथ एकरारनामा संपन्न करना होगा, जिसके नियम एवं शर्तों का पालन करना एजेंसी के लिए अनिवार्य होगा।
8. चयनित एजेंसी को जमानत राशि के रूप में रु० 25,000/— का बैंक ड्राफ्ट अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रु० 25,000/— की बैंक गारंटी जो कार्यपालक निदेशक, बिहार विरासत विकास समिति, पटना के नाम से निर्गत हो, एकरारनामा के साथ जमा कराना होगा।

अन्य शर्तें—

1. चयनित एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त किये जाने वाले माली, सफाईकर्मी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. आवश्यकतानुसार माली एवं सफाई कर्मी की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकेगी।
3. चयनित एजेंसी को सभी सफाई कर्मी एवं माली को पहचान-पत्र एवं पोषाक उपलब्ध कराना होगा, जिस पर सम्बन्धित एजेंसी का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। ड्रेस एवं पहचान पत्र आदि तैयार किये जाने में होने वाले व्यय राशि को चयनित एजेंसी को स्वयं वहन करना होगा।
4. अगर कार्य के दौरान कोई कर्मी दुर्घटनाग्रस्त होता है तो इसके लिए बिहार विरासत विकास समिति जिम्मेवार नहीं होगा।
5. चयनित एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त किसी कर्मी के अनुपस्थिति में एजेंसी को तुरंत अन्य कर्मी की प्रतिनियुक्ति करनी होगी। अन्यथा उपस्थिति विवरणी के आधार समानुपातिक रूप से राशि की कटौती की जायेगी।

6. एजेंसी का चयन एक वर्ष के लिए अथवा विभाग स्तर पर एजेंसी के चयन होने तक, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा। एजेंसी का कार्य संतोषप्रद रहने तथा विभाग स्तर पर एजेंसी की चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की स्थिति में एजेंसी की कार्य अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
7. चयनित एजेंसी को प्रतिनियुक्त किये गए कर्मियों का EPF तथा ESI में कराये गए पंजीकरण का सत्यापित विवरण एवं प्रतिनियुक्त किये गए कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण-पत्र प्रथम माह के विपत्र के साथ उपलब्ध कराना होगा, जिसके उपरांत ही प्रथम माह के विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
8. एजेंसी को प्रतिनियुक्त किए गए कर्मियों को प्रत्येक माह के 7 तारीख तक पारिश्रमिक का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाना अनिवार्य होगा।
9. आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जाएगा, आवंटन के अभाव में भुगतान में विलम्ब हो सकता है। उक्त स्थिति में चयनित एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों को नियमित रूप से भुगतान करना होगा।
10. चयनित एजेंसी को कर्मियों को भुगतान की गई राशि का बैंक स्टेटमेंट, EPF तथा ESI मद में भुगतान किए गए निर्धारित अंशदान (फर्म+कर्मियों) की राशि के साक्ष्य की सत्यापित विवरणी कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही अगले माह के विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
11. कार्य संतोषजनक न रहने की स्थिति में चयनित एजेंसी को एक माह का नोटिस देते हुए एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा तथा उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
12. कोटेशन को आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
13. किसी भी प्रकार के विवाद के निस्तारण हेतु स्थानीय स्तर पर न्यायिक क्षेत्र, पटना होगा।

अभिषेक कुमार 11/9/20
कार्यपालक निदेशक,

बिहार विरासत विकास समिति

५